न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार ।** (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **121/2024** GCMS 2023/264

प्रार्थी :–

1. रामलक्ष्मण पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी ग्राम रावां तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी

प्रार्थना–पत्र राजस्व रेकर्ड में शुद्धि दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 136, 121 एलआर एक्ट 1956

उपस्थित :– वकील प्रार्थी श्री बिरमाराम चौधरी
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

–ःनिर्णय :–

दिनांक :– 04/12/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम रावां पटवार हल्का रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 240, 241, 245, 246, 247, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 कुल खसरे 14 कुल रकबा 23.8700 हैक्टयर कृषि भूमि कब्जाशुदा, खातेदारीशुदा भूमि अन्य सह खातेदारों के साथ चली आ रही है। जिसका मैं निर्विवाद रूप से उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा मैं मेरे हक हिस्से की चारों ओर नींव सींव कायम कर काश्त करता आ रहा है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारी की गलती से विरासत नामान्तरकरण दर्ज करते समय रामलक्ष्मण के स्थान पर भूलवंश लिछमणराम कर दिया गया था। जबकि प्रार्थी का सही नाम सम्पूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड, अंकतालिका, लाईसेंस, राशनकार्ड आदि [illegible] दस्तावेजों में रामलक्ष्मण है। जो कि शुद्धि कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:04:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 11 तक के नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने पर शामिल मिसल

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

किये गये। बावजूद सूचना अप्रार्थी संख्या 01 से 11 अनुपस्थित रहे। एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार कुचामन सिटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

मौजा ग्राम रावां पटवार हल्का रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 240, 241, 245, 246, 247, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 कुल खसरे 14 कुल रकबा 23.8700 हैक्टयर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम लिछमणराम के स्थान पर रामलक्ष्मण किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

मौजा ग्राम रावां पटवार हल्का रूपपुरा टोरड़ा तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 240, 241, 245, 246, 247, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 कुल खसरे 14 कुल रकबा 23.8700 हैक्टयर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम लिछमणराम के स्थान पर रामलक्ष्मण किये जाने का आदेश दिया जाता है। वास्ते आदेश की पालना तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार I.RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:04:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 316

दिनॉकः– 04/12/2024

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 121 / 2024 **GCMS 2024/264** रामलक्ष्मण बनाम अमरराम वगैरह में पारित आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रार्थना सं. 121 / 2024 **GCMS 2024/264** रामलक्ष्मण बनाम अमरराम वगैरह में पारित आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। आदेश की पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय प्रस्तुत करें।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:04:22 IST
Reason: SelfAttested